भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2483

दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

ओडिशा में बांस-आधारित उद्योग

2483. **श्री दिलीप रायः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार की ओडिशा राज्य में बांस-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/योजनाएं हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा राज्य में बांस-आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में बांस-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों को प्रदान की गई सहायता के लिए सरकार की निम्नलिखित स्कीमें चल रही हैं:

i. राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) बांस सेक्टर की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि बांस उगाने वाले कृषक, प्राथमिक प्रसंस्करणकर्ताओं, प्लांटिंग सामग्री से जुड़े कामगारों, प्लांटेशन, संग्रहण सुविधा सृजन, समेकन, प्रसंस्करण, कलस्टर दृष्टिकोण मोड में कौशल विकास तथा ब्रांड निर्माण पहल को जोड़ा जा सके। एनबीएम के अंतर्गत बांस मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य को 5.78 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

ii. बांस-आधारित उद्यमों सहित गैर-कृषि सेक्टर में नए सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाकर टिकाऊ उद्यमिता के संर्वधन हेतु ओडिशा राज्य सहित देश भर में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शासित एवं ऋण-संबद्ध स्कीम के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में बांस-आधारित उद्यमों के सृजन के लिए बैंको द्वारा संस्वीकृत ऋणों पर 11.71 लाख रूपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी संवितरित की गई है।

(ग) और (घ): एनबीएम के अंतर्गत ओडिशा राज्य में 16 बांस नर्सरियां स्थापित की गई हैं, बांस रोपण के अंतर्गत 1049 हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र कवर किए गए, 05 बांस ट्रीटमेंट और संरक्षण इकाइयां स्थापित की गईं, 26 उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गईं तथा बांस बाजार के लिए 10 अवसंरचनाएं सृजित की गईं। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत 3747 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 16 कार्यशालाओं/सेमिनारों/व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

बांस आधारित उद्यमों सहित नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार को बढ़ाने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

ii. विभिन्न प्रबंधकीय और प्रचालन कार्यों से संबंधित अभिमुखीकरण और जागरूकता प्रदान करने के लिए संभावनाशील लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने व्यापार का प्रभावी ढंग से संचालन कर सके।

iii. पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत स्थापित बेहतर कार्य-निष्पादन वाले उद्यम प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के तौर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

iv. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

v. संभावनाशील लाभार्थियों को तत्क्षण सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है।

vi. संभावनाशील लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन तथा पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।

vii. एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन) पहल के अंतर्गत पीएमईजीपी उद्यमों को पंजीकृत किया गया है, ताकि उनकी बाजार पहुंच को बढ़ाया और उन्हें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जोड़कर उनकी डिजिटल विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया जा सके।

viii. केवीआईसी ब्रिक्री केंद्रों के माध्यम पीएमईजीपी सहित पंजीकृत विनिर्माताओं को विपणन सहायता प्रदान की जाती है। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की वैश्विक स्तर पर बिक्री के लिए उन्हें डिजिटल बाज़ार उपलब्ध कराने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.ekhadiindia.com) विकसित किया गया है।

ix. पीएमईजीपी पोर्टल को समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसे जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषण करने वाले बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है। इससे आवेदकों को आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जानकारी प्रदान करने को सुव्यवस्थित किया गया है।

x. एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषण बैंकों से स्पष्ट कहा गया है कि वे इस उपबंध का सख्ती से अनुपालन करें।
